न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 88/2020

सरबती देवी वगैरह   बनाम   संतोष देवी आदि

दावा बाबत धोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय

निर्णय दिनांक 20.09.2022

प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 7 व 8) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि वादीगण ने ग्राम धनूरी स्थित भूमि गत ख0न0 365 रकबा 7 बीधा 5 बिश्वा हाल ख0न0 741 रकबा 1.83 है0 भूमि बाबत दावा प्रस्तुत किया है उक्त भूमि का पहले खातेदार लाल पुत्र सेवा जाति जाट था। लालाराम की मृत्यू के उपरांत उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 370 भानी पुत्री लालराम स्त्री बीरबलराम को प्राप्त हुई। भानी देवी के तीन पुत्रियां प्रतिवादीया संख्या 4 लगायत 6 व दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पैदा हुये। भानीं देवी की मृत्यू उपरान्त उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 715 दिनांक 06.05.2020 से उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को प्राप्त हुई। भानी देवी की पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 ने उपने हिस्से की 3/5 हिस्सा भूमि का हक त्याग बराबर प्रतिवादी न0 7 व 8 के हक में कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 729 दिनांक 07.07.2020 दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त जमीन में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रत्येक 1/2 हक हिस्से के सहखातेदार हुये एवं इस मुताबिक काबिज काश्त है। रामसुख कभी लालाराम के गोद का पुत्र नहीं रहा। लालाराम ने रामसुख्या को कभी गोद नहीं लिया ना ही रामसुख के हक में ऐसा गोद पत्र है। लालाराम अपनी पुत्री भानी के साथ रहा एवं अपनी पुत्री भानी के हक में दान पत्र किया। अगर रामसुख लालाराम का दत्तक पुत्र होता तो दान पत्र बहक भानी देवी में ऐसा नहीं लिखा होता। रामसुख के पिता पूर्णाराम की खातेदारी भूमि ग्राम धनूरी में स्थ्इात है पूर्णाराम के देहान्त होने के बाद रामसंख्या ने उत्तराधिकार में अपने पिता से जमीन प्राप्त की है। इस प्रकार वादिया ने बिना किसी आधार के गलत आधार पर मौजुदा दावा पेश किया है जो वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है। अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का दावा वाद कारण के अभाव में खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण (वादीगण) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित नामान्तरकरण गलत दर्ज हुये है। वादग्रस्त भूमि पर रामसुख की मृत्यू के बाद से जवाबदेहन्दा का कब्जा है तथा वे ही काश्त करते है। वादीगण की जानकारी में लालाराम ने कोई हक त्याग पत्र भानी देवी के हक में नहीं किया है कोई तथाकथित दानपत्र फर्जी व कुटरचित है। जिसके आधार पर दावा प्राथमिक स्टेज पर खारीज नहीं हो सकता। अंत में जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा ना तो बीना वाद कारण के पेश किया गया है ओर ना ही विधि द्वारा वर्जीत है। इस कारण से आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 7 व 8) ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि लालाराम की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि ना0स0 370 के आधार पर लालाराम की पुत्री भानी के नाम दर्ज हुई है फिर भानी के वारिसों के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 द्वारा अपने हक हिस्से की जमीन का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 7 व 8 (प्रार्थीगण) के नाम करने से वर्तमान में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादीगण अपने आप को गोदपुत्र साबित करने में असफल है। तथाकथित गोदपुत्र रामसुख पुत्र पूर्णाराम के नाम पैतृक सम्पति अपने जैविक पिता पूर्णाराम से उत्तराधिकार में प्राप्त की है। इस प्रकार हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का दावा खारीज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण (वादीगण) ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस मानते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा ना ही उपहार नामा पेश किया गया ना ही विरासत संबंधी/गोदनामा पेश किया जिससे यह साबित हो कि वादीगण लालाराम का गोदपुत्र की हैसियत रखता है और उसी के आधार पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार तमाम साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजात के आधार पर वादीगण (अप्रार्थीगण) प्रस्तुत वाद पत्र में वादकारण साबित करने में असफल रहे है।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 7 व 8) की मुख्य आपति यह है कि वादिया ने बिना किसी आधार के गलत आधार पर मौजुदा दावा पेश किया है जो वाद कारण के अभाव में खारिज होने योग्य है। जो अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 की श्रेणी में आता है। वादीगण (अप्रार्थीगण) प्रस्तुत वाद पत्र में वादकारण साबित करने में असफल रहे है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा वादी का दावा वादकारण के अभाव में खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर